जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 22-11-2021**

आज दिनांक 22.11.2021 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री राजेश मोदक** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा दविश के दौरान 02 वारण्टी गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा दविश के दौरान 01 नफर वारण्टी नाम पता राजन लाल राजभर पुत्र प्रहलाद राजभर निवासी महुलियावां थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री नत्थू प्रसाद, हे0का0 विरेन्द्र चौधरी।

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा दविश के दौरान 01 नफर वारण्टी नाम पता रामसमुझ पुत्र औतार निषाद निवासी बेलवनवा थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री लाल जी यादव मय हमराह।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 13 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

<u>पीआरवी 2548 द्वारा मारपीट / विवाद को कराया गया शान्त</u> – पीआरवी <u>2548</u> को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत बुद्धाकला से इवेन्ट संख्या 05634 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 05 मिनट में पहुंचकर विवाद को शांत कराकर घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शांत कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 ओम प्रकाश सिंह, हो0चा0 प्रमोद कुमार पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 129 वाहनों से 87000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 21.11.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 129 वाहनों से 87000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।